पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:–264 / 2025

1. रामजीलाल पि0 पन्नाराम जाति जाट निवासी खिनानीया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. विनोद कुमार

वादी

बनाम्

1. शैलेन्द्र कुमार पि0 जगदीश जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुरेश

प्रतिवादीगण

<u>डिक्री</u> दिनांक 24/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैल सिंह अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है क. वादीगण सं० 1 व 2 को प्राप्त आराजी– चकनं० 2 ए बारानी के खाता सं0 133 / 18 में अंकित कुल 11.385 है० मय गै०मु० आराजी मे से प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक का 1 / 45 हिस्सा,

ख. प्रतिवादी सं0 1 व 2 को प्राप्त आराजी – चक नं० 18 केएनएन के प0न0 289 / 378 मु0 61 किलानं0 22, 23 / .506 है0

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 18 केएनएन के खाता सं0 113 / 44 में से वादीगण का हिस्सा कम चकनं0 2 ए बारानी के खाता सं0 133 / 18 मे से प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/7/25.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी R.A.S)
पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।